भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5303

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल पुनर्चक्रण

5303. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनियां अपनी विनिर्माण इकाइयों में उपयोग किए गए जल का पुनर्चक्रण नहीं करती हैं और इसे नाली में बहा देती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय से कंपनियों और उनकी विनिर्माण इकाइयों की जल संपरीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक कितनी कंपनियों की संपरीक्षा की गई है और कितनी शास्ति, यदि कोई हो, लगाई गई है;

(ङ) क्या कंपनियों द्वारा उपयोग किए गए जल के पुनर्चक्रण की कोई निर्धारित प्रक्रिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) जल, राज्य का विषय होने के कारण, विनिर्माता इकाइयों से जल के निस्सरण और पुनर्चक्रण की मॉनीटरिंग राज्य सरकारें करती हैं। सभी विनिर्माता इकाइयों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संगत पर्यावरणीय अभिकरणों के द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों, जब विनिर्माता इकाइयों को लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं, का पालन करना होता है। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनियों और उनकी विनिर्माण इकाइयों के जल की लेखा परीक्षा का कार्य नहीं करते हैं। राज्य सरकारें, इस मामले में जल लेखा परीक्षा, कानूनों का कार्यान्वयन और नियमों/विनियमों आदि का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई सहित राज्यों के भीतर जल के कुशल उपयोग हेतु कई उपाय करती हैं।

(ङ) और (च) पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने उद्योगों की 25 श्रेणियों के लिए मानक पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तें जारी की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शून्य तरल निष्कासन, जल का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन आदि का अनुपालन शामिल है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा जल (निवारण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण समितियों को उद्योग की 17 श्रेणियों तथा घोर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए जल उपचार अवसंरचनाएं और ऑनलाइन बहिर्स्राव मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित करने हेतु निर्देश जारी किए हैं, ताकि इन इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों की ट्रैकिंग की जा सके।

*****